

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/157

जयपुर, दिनांक: 5-1-15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत) राजस्थान।

विषय:- मतदान के पश्चात् मतपेटियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए CCTV कैमरा उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग के पत्रांक 6577 दिनांक 21.12.2009 के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में मतदान के पश्चात् ईवीएम को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने संबंध आदेश जारी किए हुए हैं। इन आदेशों के बिन्दु संख्या-17(iii) में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरे स्थापित किए जाने के निर्देश प्रदान किए हुए हैं।

इसी क्रम में आयोग के पत्रांक 1138 दिनांक 28.12.1994 के द्वारा मतदान के पश्चात् मतपेटियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के संबंध में निर्देश प्रदान किए हुए हैं। इन निर्देशों में मतपेटियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के समय स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे स्थापित किए जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं है।

अतः आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि मतपेटियों को भी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के समय स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरे स्थापित किए जाएं।


(सत्यप्रकाश बसवाला)

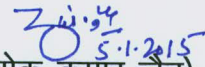
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव,

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/158

जयपुर, दिनांक: 5-1-2015

प्रतिलिपि वित्तीय सलाहकार, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक कुमार जैन)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव,